



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50082

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 823/2026

राजेंद्र

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

चकबन्दी अधिकारी और 9 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : शशि कांत उपाध्याय

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता, सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 54

**माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक,**

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।
2. इस रिट याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की गई है:  
"रूस्तमपुर, गोरखपुर के चकबन्दी अधिकारी, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 को परमादेश के रूप में एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, याचिकाकर्ता के दिनांक 05.07.1989 के पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र, वाद संख्या 258, उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम की धारा 9-क-2 के अंतर्गत, को एक निर्धारित समयावधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।"
3. यदि उपरोक्त मामले का शीघ्र निर्णय करने का निर्देश जारी किया जाता है, तो विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।
4. उपरोक्त स्थिति में, इस मामले को लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए, यह न्यायालय इस रिट याचिका को अंतिमरूप से निस्तारित करना उचित समझता है, याचिका में उठाए गए मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, प्रतिवादी संख्या 1 को निर्देश देते हुए कि वह उक्त मामले का निर्णय विधि के अनुसार, तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश द्वारा, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के बाद और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर करे।

5. उपरोक्त निर्देश के साथ, इस याचिका का अंतिम निपटारा किया जाता है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

11 मार्च, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।